

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2019/312

दिनांक 1.7.18

:- परिपत्र :-

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम-1963 के नियम 27 के अनुसार नियमित रूप से जिला मुख्य नर्सिंग अधीक्षक के पद पर चयनित अधिकारियों की अन्तरिम वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2018 की स्थिति दर्शाते हुए एतद्वारा जारी की जाती है, यदि कोई अधिकारी इससे परिवेदित हो तो वे अपना अभ्यावेदन इस सूची के जारी होने की तिथि से 15 दिवस की समयावधि में निम्न हस्ताक्षकर्ता को अवश्यमेव प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनो पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी जावेगी।

संलग्न: उपरोक्तानुसार सूची।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2019/312

दिनांक 1.7.18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प. क मंत्री महोदय, राजस्थान, सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प. क. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक (आर.सी.एच.)/एड्स/ई.एस.आई./एम.एस.यू., चिकि. एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान।
5. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
6. समस्त अति. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
8. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
10. प्रधानाचार्य, रा.प.क. प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर/जयपुर।
11. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित अनुभाग/ए.टी. प्रकोष्ठ, मुख्यालय।
13. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

जिला मुख्य नर्सिंग अधीक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की अन्तरिम वरिष्ठता सूची
दिनांक 01.04.2018 की स्थिति में

क स	अधिकारी का नाम	सवर्ग	जन्म दिनांक	पदोन्नति वर्ष
1	2	3	4	5
1	श्री दया शंकर शर्मा	सामान्य	25.07.59	2012-13
2	श्रीमति एलिजाबेथ	सामान्य	08.09.58	2014-15